उन्हें नीचे जाने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं। इसलिए इसी संदर्भ में, केन्द्रीय कृषि मंत्री ने 31 मार्च, 1980 को देश के चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किया था ताकि खुली बिक्री की चीनी के मामले में स्वेच्छा-मूल्य-विनियमन नीति तैयार की जा सके। बाद में, 23 मई, 1980 को राज्य के खाद्य सचिवों की एक बैठक को सम्बोधित करते हुए उन्होंने राज्य सरकारों से इस बात पर बल देते हुए कहा कि वे चीनी मिलों के व्यवहार पर कड़ी निगाह रखें और उन्होंने यह भी कहा कि यदि वे उचित मूल्य पर चीनी सप्लाई करने में सहयोग नहीं देतीं हैं तो जल्दी पेराई कार्य शुरू करने और मौजूदा क्षमता का विस्तार करने आदि के लिए जो प्रोत्साहन दिए जाते हैं उसके लिए वे हकदार नहीं हो सकेंगी ।

गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य का भुगतान न किए जाने के कारण चीनी उत्पादन में गिरावट

95. **श्री के. एम. मधुकर:**
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री आर. के. महालगी:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि इस वर्ष चीनी उत्पादन में 27.9 प्रतिशत गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो क्या चीनी उत्पादन में इस गिरावट का कारण यह है कि सरकार गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य का भुगतान करने में असमर्थ रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई नई योजना तैयार की है कि गन्ना उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है;

(ङ) क्या गन्ने की खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में गत दो वर्षों के दौरान कमी हुई है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन): (क) अनुमान है कि वर्तमान मौसम 1979-80 के दौरान चीनी का उत्पादन 39.5 लाख मीटरी टन हो जाएगा जबकि 1978-79 मौसम में उत्पादन 58.44 लाख मीटरी टन हुआ था अर्थात उत्पादन में 32.4 प्रतिशत की गिरावट हुई है।

(ख) जी नहीं। इस वर्ष चीनी के उत्पादन में कमी होने का मुख्य कारण गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी होना और सूखा, प्रतिकूल मौसम स्थिति आदि जैसे कई एक कारणों से गन्ने के उत्पादन में बहुत अधिक कमी होना है ।

(ग) और (घ). गन्ने का उपयोग सामान्यतया उपयोगकर्ताओं के तीन भिन्न-भिन्न वर्गों अर्थात चीनी फैक्ट्रियों, खण्डसारी यूनिटों और गुड़ निर्माताओं द्वारा किया जाता है। जहां तक चीनी फैक्ट्रियों का सम्बन्ध है, उनके द्वारा देय न्यूनतम मूल्यों को प्रत्येक मौसम के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्पादन लागत, वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों के लिए लाभ, गन्ने से चीनी की प्राप्ति आदि जैसी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में उल्लिखित कई एक बातों को ध्यान में रखकर सांविधिक रूप से निर्धारित किया जाता है। ये मूल्य निर्धारित करते समय, कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों, राज्य सरकारों और चीनी फैक्ट्रियों की एसोसिएशनों तथा गन्ना उत्पादकों की राय को भी ध्यान में रखा जाता है। गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को 1977-78 के 8.50 रु. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1978-79 में 10.00 रु. प्रति क्विंटल कर दिया गया था और अधिक प्राप्तियों के लिए अनुपातिक प्रीमियम की व्यवस्था कर 8.5 प्रतिशत अथवा उससे कम चीनी की प्राप्ति पर मूल्यों को 1979-80 में और बढ़ाकर 12.50 रु. प्रति क्विंटल कर दिया गया था ।

जहां तक गुड़ और खण्डसारी यूनिटों का संबंध है, सामान्यतया मूल्य संबंधी कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया है। तथापि, राज्य सरकारों को खण्डसारी यूनिटों द्वारा देय न्यूनतम मूल्यों को निर्धारित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं और जब कभी समझा जाता है कुछ एक राज्य, यूनिटों द्वारा देय मूल्य निर्धारित करती हैं ।

(ङ) और (च). गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में 1978-79 में 1.0 प्रतिशत की गिरा-

घट आयी और 1979-80 के लिए गन्ने के अखिल भारत दूसरे अनुमान इसमें 1979-80 में 14.40 प्रतिशत की और कमी हुई है। 1977-78 और 1978-79 में गुड़ और खण्डसारी के मूल्यों में कमी के कारण ही मुख्यतया गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी हुई है।

Delivery of Sugar by Sugar Mills in North Bihar

96. SHRI K. M. MADHUKAR: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Government are aware of the fact that Bihar Government has expressed dissatisfaction over the delivery of sugar by sugar mills in North Bihar; and

(b) if so, the measures proposed by Government to control such sugar mill owners?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) and (b). The lifting of sugar from factories on behalf of Bihar Government is undertaken by the Food Corporation of India who have reported non-delivery/non-despatch of levy sugar by some of the sugar mills in Bihar on grounds of non-availability of sound stocks with the mills released out of 1978-79 seasons production and refusal of delivery due to non-payment of market fee levied by the State Government.

On receipt of the complaints from F.C.I. regarding non-availabilty of sound stocks out of 1978-79 seasons production the concerned factories have been permitted to deliver sugar to the extent of shortfall out of 1979-80 seasons' production. The validity period of all allotment orders issued both from 1978-79 and 1979-80 seasons' production for the months of December, 1979 to May, 1980 has also been extended upto 30th June, 1980 to enable the F.C.I. to lift the entire allotted sugar from the factories. In regard to non-payment of market fee by the factories, the matter has since been settled and suitable instructions have been issued to the F.C.I. in this regard.

Propagation and development of Sanskrit

97. SHRI T. R. SHAMANNA: Will the Minister of EDUCATION be pleased to state:

(a) what are the steps taken by Government regarding propagation and development of Sanskrit; and

(b) whether Government propose to give priority to learning of Sanskrit in schools and colleges?

THE MINISTER OF EDUCATION AND HEALTH AND SOCIAL WELFARE (SHRI B. SHANKARANAND): (a) A statement is attached.

(b) Most Universities offer Sanskrit as a subject of study in the first degree course. Some universities have specialised courses in Sanskrit language and literature. The constituent and affiliated colleges of these universities also have the same facilities.

In Central Schools, Sanskrit learning is compulsory from V to IX. Provision for teaching Sanskrit also exists in classes X to XII. Sanskrit can be offered by any candidate both at the secondary and senior secondary stages of examinations conducted by the Central Board of Secondary Education. State Govts. have also been providing facilities for learning Sanskrit in Schools and Colleges, keeping in view the local demands for such facilities.

Statement

SCHEMES FOR PROMOTION OF SANSKRIT

1. *Rashtriya Sanskrit Sansthan*

One of the main objectives of the Sansthan is to coordinate, standardise and improve Sanskrit Education and Research in the country. At present, it directly controls six Kendriya Sanskrit Vidyapeethas functioning at